**संख्या- 364 / 2023 / 7151 / चार-2023**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 12 दिसम्बर, 2023

विषयः- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के प्रशासनिक भवन की मरम्मत, शहीद स्मृति भवन के जीर्णोद्धार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज की छत की मरम्मत हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3148 /सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 एवं निदेशक, अभिलेखागार के पत्र संख्या- 671/नौ-1।2023-24 दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के प्रशासनिक भवन की मरम्मत हेतु रू0 58.64 लाख, शहीद स्मृति भवन के जीर्णोद्धार हेतु रू0 155.00 लाख एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज की छत की मरम्मत हेतु रू0 34.21 लाख अर्थात् कुल रू0 247.85 लाख (रू0 दो करोड़ सैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
7. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- 04- कला एवं संस्कृति -104- अभिलेखागार- 03- राज्य अभिलेख 25- लघु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 364 /2023 / 7151 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-7151- IV-2023 - Archives 4202-04-104-03-25

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के प्रशासनिक भवन की मरम्मत, शहीद स्मृति भवन के जीर्णोद्धार एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज की छत की मरम्मत हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

***निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण***

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202048003200 (जनपद बदायूं में प्रेक्षागृह के निर्माण ) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र | 55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र | 34,21,000 रुपये चौंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र | 34,21,000 रुपये चौंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र | 20,79,000 रुपये बीस लाख उनासी हजार मात्र | 2023-2024 |
| 092 | 4202048000700 (लखनऊ में उ.प्र. जनजातीय संग्रहालय का निर्माण ) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र | 8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र | 1,55,00,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र | 1,55,00,000 रुपये एक करोड़ पचपन लाख मात्र | 6,45,00,000 रुपये छह करोड़ पैंतालीस लाख मात्र | 2023-2024 |
| 092 | 4202048000500 (जनपद अयोध्या में सांस्कृतिक मंच की स्थापना ) | 24 (वृहत् निर्माण कार्य) | 86,00,000 रुपये छियासी लाख मात्र | 86,00,000 रुपये छियासी लाख मात्र | 58,64,000 रुपये अट्ठावन लाख चौंसठ हजार मात्र | 58,64,000 रुपये अट्ठावन लाख चौंसठ हजार मात्र | 27,36,000 रुपये सत्ताईस लाख छत्तीस हजार मात्र | 2023-2024 |
| **कुल** | | | | | ₹ 2,47,85,000 | ₹ 2,47,85,000 | | |

***निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण***

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 4202041040300 (राज्य अभिलेख--) | 25 (लघु निर्माण कार्य) | 6,60,000 रुपये छह लाख साठ हजार मात्र | 2,47,85,000 रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र | 2,47,85,000 रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख पचासी हजार मात्र | 2,54,45,000 रुपये दो करोड़ चौवन लाख पैंतालीस हजार मात्र | 2023-2024 |
| **कुल** | | | | ₹ 2,47,85,000 | ₹ 2,47,85,000 | | |

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5. उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-221-E-7-318-X-2023-24-दिनांक:08-12-2023

सेवा में,
निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 364 /2023 / 7151 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।